अधिनियम

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक 2002

(अधिनियम संख्या 19 वर्ष 2002)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) अनुकूलन एव उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन के लिये :–

विधेयक अधिनियम

भारत के गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1.संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

(i) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा ।

(ii) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा ।

(iii) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत हुआ समझा जायेगा ।

2. उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959, की धारा 6 का संशोधन

उत्तर प्रदेश नगरनिगम अधिनियम, 1959 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 6 (1)(क) में शब्द "साठ" के स्थान पर शब्द "बीस" तथा शब्द "एक सौ दस" के स्थान पर शब्द "पैंतालिस रख दिया जायेगा ;

3. धारा 7(1) का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 7(1) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "सत्ताईस" के स्थान पर शब्द "चौदह" रख दिया जायेगा ;

4. धारा 24 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 24 में निम्नलिखित खण्ड (घ) बढा दिया जायेगा :–

"(घ) वह एक से अधिक वार्ड के लिये अभ्यर्थी न हो ;"

5. धारा 25(1) का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 25(1) खण्ड (ट) के बाद निम्नलिखित धारा बढ़ा दिये जायेगें :–

(ठ) "उसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म इस धारा के प्रवृत्त होने की तिथि के 300 दिवस के पश्चात हुआ है ;" या

(ड) "महिला के विरूद्व किसी अपराध का दोष सिद्व ठहराया गया है ;" या

"(ढ) किसी ऐसे समाचार–पत्र में, जिसमें नगरपालिका के कार्यकलापों से सम्बन्धित कोई विज्ञापन दिया जा सकता है, अंश या हित रखता है ;"या

"(ण) किसी ऐसी संस्था जो नगरपालिका से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, का वैतनिक कर्मचारी है ;" या

"(त) यदि वह या उसके परिवार का सदस्य या उसका कानूनी वारिस नगर पालिका के स्वामित्व या प्रबन्धन की भूमि या भवन या सार्वजनिक सड़क या पटरी, नाली, नाला पर अनाधिकृत कब्जा करता है अथवा किसी ऐसे अनाधिकृत कब्जे से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करता है ; " या

"(थ) नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी संवर्ग या वर्ग के संघ या यूनियन का प्रतिनिधि या पदाधिकारी है ; " या

"(द) नगरपालिका के अधिनियम, नियम, उपविधियां, विनियम, शासनादेश का उल्लंघन करने, नगर पालिका के हितों की उपेक्षा करने का सिद्व दोषी ठहराया गया हो "

धारा 44 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 44 में शब्द "मत गूढ शलाका" के बाद शब्द "अथवा वोटिंग मशीन" रख दिया जायेगा ;

धारा 45 में एवं नई उपधारा(3) का बढ़ाया जाना

मूल अधिनियम की धारा 45 में निम्नलिखित उपधारा(3) बढ़ा दी जायेगी :–

"(3) राज्य निर्वाचन आयोग सभी निर्वाचनो में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन पत्र के साथ उसकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनायें जैसा आवश्यक समझे, का शपथ पत्र के साथ घोषणा पत्र प्राप्त करेगा और मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिये खण्ड (ग) तथा (ड) की सूचनाओं को छोड़कर प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगा :–

(क) क्या वह अतीत में किसी अपराधिक मामलें में दोषी पाया गया है ? दोष मुक्त हुआ है? आरोप से उन्मोचित हुआ है ? या दोषी पाये जाने की स्थिति में उसे दण्ड या अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ?

(ख) नामांकन भरने से छः माह पूर्व क्या अभ्यर्थी किसी ऐसे लम्बित मामलें में अभियुक्त रहा है जिसमें दो वर्ष या अधिक की सजा हो सकती है, व मामलें में आरोप निर्धारित हो चुके हों या न्यायालय ने संज्ञान लिया हो, का विवरण ;

(ग) वह और उसके पति या पत्नी तथा आश्रितों की चल, अचल सम्पत्तियों, बैक बैलेंस आदि से सम्बन्धित पूर्ण सूचना ;

(घ) उस पर देनदारियों विशेषकर उसके द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकार की अवशेष राशि का समय से भुगतान न करने की दशा में उसका पूर्ण विवरण ;

(ड) उसकी आय के साधन तथा वर्तमान मासिक/वार्षिक आय का पूर्ण विवरण ;

(च) वह विवाहित अथवा अविवाहित ;

(छ) उसके कुल बच्चों की संख्या और उनकी आयु व शिक्षा पर व्यय का विवरण ;

(ज) उसकी आयकर तथा भूमि – भवनकर, प्रक्षेपकर/शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली वार्षिक धनराशि का पूर्ण विवरण । ;

(झ) उसकी शैक्षिक योग्यता का विवरण ;

8. धारा 177 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 177 में :–

(क) उपधारा (ग) के स्थान पर निम्नांकित उपधारा रख दी जायेगी :–

"(ग) भवन जो एक मात्र स्कूल और कालेजों के रूप में प्रयुक्त होते है, तथा राज्य सरकार के स्वामित्व में हो "

(ख) उपधारा (ज) निकाल दिये जायेंगे ।

9. निरसन और अपवाद

(1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1959 के उपबन्धों के अधीन कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।